

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कायों/वृक्षारोपण के योग्य

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केवलारी (सामान्य)

उपवनमंडल अधिकारी  
केवलारी (सामान्य)

वनमंडल अधिकारी  
दक्षिण सिवनी (सा.) वनमंडल  
निरीक्षण दिनांक 27/06/2023

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्र./ 91 दिनांक 14.7.2023 द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक  
सिवनी, वृत्त सिवनी

## प्रमाण-पत्र

---

प्रमाणित किया जाता है कि घंसौर केदारपुर से चरगांव उमरडीह बखारी ग्रेवल सड़क निर्माण में निहित वन भूमि के बदले ग्राम खरसारु प.ह.नं. 20 तहसील केवलारी में शासकीय भूमि खसरा नं. 1 रकबा 71 हेक्टे. में से खसरा नं. 1/5 रकबा 2.59 हेक्टे. परिवर्तन कर वन विभाग को करते हुए प्रदत्त किया गया है । उक्त समस्त खसरा वृक्षारोपण की दृष्टि से उपयुक्त है ।

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केवलारी (सामान्य)

## प्रमाण-पत्र

---

प्रमाणित किया जाता है कि घंसौर केदारपुर से चरगांव उमरडीह बखारी ग्रेवल सड़क निर्माण में निहित वन भूमि के बदले ग्राम खरसारु प.ह.नं. 20 तहसील केवलारी में शासकीय भूमि खसरा नं. 1 रकबा 71 हेक्टे. में से खसरा नं. 1/5 रकबा 2.59 हेक्टे. परिवर्तन कर वन विभाग को करते हुए प्रदत्त किया गया है । उक्त समस्त खसरा वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
केवलारी (सामान्य)